



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072020-220506
CG-DL-E-14072020-220506

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2050]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2020/ आषाढ़ 22, 1942

No. 2050]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2020/ASHADHA 22, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2020

का.आ. 2323(अ).—यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलोजी पार्क्स—केरल ने केरल राज्य में जिला तिरुवनंतपुरम के पल्लीपुरम और वल्लूर गांव में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) के लिए एक आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 363(अ) दिनांक 13 फरवरी, 2013 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 39.3719 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलोजी पार्क्स—केरल ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 6.5074 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, केरल सरकार ने उनके पत्र सं. ई&आईटी-ए2/80/2019/ई-आईटीडी दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, कोचीन, एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 6.5074 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा **6.5074 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है**, जिसके परिमाणतः **कुल क्षेत्रफल 32.8645 हेक्टेयर** हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएँ और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	पल्लीपुरम	370/1	0.0708
2.		370/2	0.1560
3.		370/3	0.1120
4.		370/4	0.0590
5.		370/5	0.0880
6.		370/6	0.0740
7.		370/7	0.1280
8.		370/8	0.0860
9.		370/9	0.0225
10.		370/10	0.0490
11.		370/11	0.2560
12.		370/12-1	0.1670
13.		370/13	0.0280
14.		370/14	0.0735
15.		370/16, 16-1	0.0922
16.		371/1	0.0500
17.		371/2	0.0180
18.		371/3	0.1190
19.		371/4	0.1460
20.		371/5	0.1240
21.	वल्लूर	326	0.3114
22.		327	0.7180
23.		333	1.1743
24.		334	0.9829
25.		335	1.0414
26.		338	0.3604
कुल			6.5074
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			32.8645

[फा. सं. एफ.1/12/2012-एसईजेड]

एस. किशोर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2020

S.O. 2323(E).—Whereas, M/s. Electronics Technology Parks-Kerala, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Villages Pallippuram & Vailoor, District Thiruvananthapuram in the State of Kerala;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 39.3719 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Number S.O. 363(E) dated 13th February, 2013;

AND, WHEREAS, M/s. Electronics Technology Parks-Kerala has now proposed for de-notification of 6.5074 hectare from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Kerala has given its approval to the proposal vide letter No. E&IT-A2/80/2019/E&ITD dated 05th December, 2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin, SEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 6.5074 hectare of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 6.5074 hectare**, thereby making the **resultant area as 32.8645 hectares**, comprising the Survey numbers and the areas given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area (in Hectares)
1.	Pallippuram	370/1	0.0708
2.		370/2	0.1560
3.		370/3	0.1120
4.		370/4	0.0590
5.		370/5	0.0880
6.		370/6	0.0740
7.		370/7	0.1280
8.		370/8	0.0860
9.		370/9	0.0225
10.		370/10	0.0490
11.		370/11	0.2560
12.		370/12-1	0.1670
13.		370/13	0.0280
14.		370/14	0.0735

15.		370/16, 16-1	0.0922
16.		371/1	0.0500
17.		371/2	0.0180
18.		371/3	0.1190
19.		371/4	0.1460
20.		371/5	0.1240
21.	Vailoor	326	0.3114
22.		327	0.7180
23.		333	1.1743
24.		334	0.9829
25.		335	1.0414
26.		338	0.3604
Total			6.5074
Grand Total Area of SEZ after above deletion			32.8645

[F. No. No. F.1/12/2012-SEZ]

S. KISHORE, Addl. Secy.